It is also apprehended that the spraying of "Endosulfan" pesticide on cashew plantations may adversely affect the prospects of processed cashew exports.

I, therefore, urge upon the Government of India, especially, the Ministry of Agriculture, to take immediate steps to ban the use of pesticide "Endosulfan" permanently. Thank you.

Child Development

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या (आन्ध्र प्रदेश) . धन्यवाद उपसभापति महोदय । मेरा स्पेशल मेंशन बाल विकास के बारे में है । बाल न्याय कानून के अधीन बच्चों के संरक्षण तथा उनके हितों की रक्षा करने का प्रावधान है । इस कानून के अंतर्गत उनके विकास तथा पुनर्वास की व्यवस्था की गई है कि बाल न्याय के लिए यह प्रयास किया जाएगा । इसमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी बच्चे को कारागार में नही रखा जाएगा । यदि बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हो तो उनको पुनः सही मार्ग पर लाना समाज का कर्त्तव्य है । कल्याण एजेंसियो के लिए उनको स्थापित करना एक आवश्यक कार्य है ।

विश्व बैंक ने बाल कल्याण के लिए वर्ष 1990-91 से एक समेकित बाल विकास कार्यक्रम चालू किया हुआ है जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में चल रहा है । इसके फ़लस्वरूप बाल कुपोषण की समस्या काफ़ी कम हुई है । समेकित बाल विकास योजना को समूचे देश में अमल में लाने की आवश्यकता है । दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इसे समूचे देश में अमल में लाया जाएगा ।

बालिका समृध्दि योजना प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 1997 को एक घोषणा से लागू की गई थी , इसके अधीन 500/- रूपए बालिका के नाम से ब्याज वाले खाते में पास के बैंक या डाकघर में जमा कराए जाएंगे । बालिका को दसवीं की शिक्षा पूरी होने तक 300/- रूपए से 1000/- रूपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे । इस योजना से लाभ समुचित रूप से नही हो पा रहा है । सरकार द्वारा किए गए उपायों से शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में काफ़ी कमी हुई है , फ़िर भी यह दर अभी भी बहुत ऊंची है ।

आजकल भ्रूण परीक्षण के द्वारा पुत्री को जन्म से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है । इस बुराई के विरूद्द सरकार ने कानून बनाया है । परंतु खेद की बात है कि यह बुराई पूरी तरह बंद नही हुई है । इस संबंध में कानून और कड़ा बनाया जाए ।

भारत में एक करोड़ से अधिक बाल मज़दूर तथा लाखो की संख्या में बाल मज़दूर बंधुवा मज़दूर है । यह शोषण सुरक्षा के अधिकार का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है । इसके आलावा अन्य प्रकार का शोषण भी होता है । बच्चों के स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ जाने के मामले भी बहुत बड़ी संख्या में होते है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार बालकों की समस्याओं पर ध्यान देकर देश के इन भविष्य के नागरिकों के कल्याण के लिए समुचित कार्यवाही करे । सरकार ने 1998 में एक बाल आयोग स्थापित करने की घोषणा की थी । इस बारे में कदम उठाकर

आयोग कि तुरंत स्थापना की जाए। महोदया, हर समय सरकार अपने भाषणों में कहती है कि आज के बालक कल का भविषय है लेकिन उनके बारे में जितने कड़े कदम उठाकर उनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, वह नही कर पा रही है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जो कहती है, वह करे। धन्यवाद।

SHRIMATI SAVITA SHARDA (Gujarat): Madam, I associate myself with this issue.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I also associate myself with this issue.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All of us associate ourselves with this issue.

Transfer of Chandigarh to Punjab

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL (Nominated): Madam, my Special Mention pertains to non-transfer of Chandigarh to Punjab. As provided in clause 7 of the Rajiv-Longowal Accord, Chandigarh was to be transferred to Punjab and the transfer was to occur on 26th January, 1986. It was stipulated that when Chandigarh goes to Punjab, in lieu thereof some Hindi-speaking areas in Punjab, which are contiguous to Haryana, with village as a unit, would go to Haryana. Accordingly, a Commission was set up under Justice K.K. Mathew which was to give its verdict by 31sl December, 1985. The Commission could not locate any such areas. Another Commission was appointed under Justice E.S. Venkataramiah on 2nd April, 1986, to see if any Hindi-speaking villages contiguous to Haryana could be located. Justice Venkataramiah determined that 70,000 acres of land was due to Haryana against which he could earmark 45,000 acres comprising 30 Hindi-speaking villages contiguous to Haryana. As for the rest 25,000 acres, he recommended that Punjabi-speaking areas should be transferred to Haryana. It did not work. Another Commission under Justice D.A. Desai was appointed on 20th June, 1986, to determine the specific areas within 24 hours. He failed to do so. Since Punjab would not part with 25,000 acres of Punjabi-speaking area to Haryana, Chandigarh has remained untransferred and the Rajiv-Longowal Accord unimplemented.

My plea is that if Haryana must have its pound of flesh, 25,000 acres of land could be donated by Uttar Pradesh, a massive neighbour in the East, as a gesture of goodwill, and the dispute can be settled. I wonder why the Centre is not persuading Uttar Pradesh Government which is an ally of the NDA.